



Regional Office
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Shiv Singhpura Housing Board Colony, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone- 01572-248009, Email- rorpcb.sikar@gmail.com

No. RPCB/RO Sikar/ Gen-253/ 775

Date: 30-07-24

To,

**The Registrar General
National Green Tribunal (Central Zone Bench)
Bhopal**


Sub: Joint Committee Report in the matter of Original Application No. 59/2024(CZ), Amit Kumar & Anr. Vs State of Rajasthan & Ors.
Ref: Hon'ble NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL order dated 15/03/2024

Sir,

With reference to above, please find enclosed herewith report of Joint Committee for kind consideration.

Enclosed: - As above

Yours Sincerely


(Pradeep Kumar Asnani)
Regional officer

Hon'ble NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

**Joint Committee Report in the matter of Original Application No.59/2024(CZ),
Amit Kumar & Anr Vs State of Rajasthan & Ors order dated 15/03/2024 passed
by Hon'ble NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**

Index

Sr No	Particular	Page No
1	Joint Committee Report	1-10
2	Orders for members of Joint Committee (Annexure-1)	11-15
3	Report of Ground Water Department (Annexure-2)	16-22
4	Report of Water Resource Department, Sikar(Annexure-3)	23-26
5	Report of Tehsildar Khandela, Distt- Sikar (Annexure-4)	27-29
6	Report of Tehsildar Neem Ka Thana , Distt- Neem Ka Thana (Annexure-5)	30-32
7	Report of Tehsildar Udaipurwati , Distt- Neem Ka Thana (Annexure-6)	33-48
8	Report of Tehsildar, Khetri, Distt- Neem Ka Thana (Annexure-7)	49-53
9	Report of Tehsildar Guda Goarji, Distt- Jhunjhunu (Annexure-8)	54-57
10	Report of Tehsildar Jhunjhunu, Distt- Jhunjhunu (Annexure-9)	58-59
11	Report of Tehsildar Chirawa, Distt- Jhunjhunu (Annexure-10)	60-65
12	Report of Tehsildar Rajgarh, Distt- Churu (Annexure-11)	66-67
13	Mines & Petroleum department Orders (Annexure-12)	68-70
14	Report of Department of Mining & Geology, Sikar (Annexure-13)	71-72
15	Report of Department of Mining & Geology, Neem Ka Thana (Annexure-14)	73-74
16	Report of Department of Mining & Geology, Jhunjhunu (Annexure-15)	75-76

Committee Members:-

1. Ranjeet Singh Godara, ADM(Adm), District Sikar
2. Pradeep Kumar Asnani, RO,RSPCB, Sikar
3. Praveen Kumar Jain,Scientist- B, CPCB, Bhopal
4. Nathmal Khedhar, Xen, Water Resource Department, GoR, Sikar
5. Dinesh Kumar Sr. Hydrogeologist, Ground Water Department Sikar

Joint Committee Report in the matter of Original
Application No.59/2024(CZ), Amit Kumar & Anr Vs State
of Rajasthan & Ors order dated 15/03/2024 passed by
Hon'ble NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH,
BHOPAL

1. Hon'ble NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL by order dated 15/03/2024 has directed inter-alia as follows: -
 7. *We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:*
 - (i) *One Representative from the Collector Sikar (Rajasthan)*
 - (ii) *One Representative from the Department of Water Resource, River Development Rajasthan*
 - (iii) *One Representative from Ground Water Department, Government of Rajasthan (Rajasthan)*
 - (iv) *One Representative from the Central Pollution Control Board.*
 - (v) *One Representative from the Rajasthan State Pollution Control Board.*
 8. *The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support*
2. In compliance to the Hon'ble NGT order the District Collector vide order dated 04/04/2024 has appointed ADM(Administration), Sikar, Rajasthan State Pollution Control Board vide order dated 11/03/2024 has appointed Regional officer Sikar, Central pollution Control Board vide order dated 22/03/2024 has appointed Scientist- B, CPCB, Bhopal, Ground water Department vide order dated 05/04/2024 has appointed Senior Hydrogeologist, Sikar, Water Resource Department vide order dated 23/04/2024 has appointed Executive. Engineer, WRD Sikar (Collectively Enclosed at **Annexure-1**)
3. The Joint committee conducted a meeting on dated 25/04/2024 and plan to visit the Kantali River area of Tehsil- Khandela, District Sikar, Tehsil- Udaipurwati, Neem Ka Thana, Khetri, District- Neem Ka Thana, Tehsil- Gudha Gorji, Chirawa, Jhunjhunu, District Jhunjhunu, Tehsil- Rajgarh District Churu on dated 02/05/2024 and 03/05/2024 with the officials of Mining Department and representatives of Revenue departments of four Districts. The Committee has asked Water resource department, Ground Water department to provide relevant information in this case. The Committee has also asked Tehsildars, District Sikar, Neem Ka Thana, Jhunjhunu, Churu to provide information of Kantali river and nearby area according to the revenue record, mining department to provide information of sand mining/action taken against illegal sand mining. Joint Committee has randomly visited Kantali River and Catchment area of various villages of District Sikar, Neem Ka Thana, Jhunjhunu and Churu and reported that: -
 - A. The Kantali river is the main river of Shekhawati region. This river dependent on the rainy season. The main catchment area of river is adjoining area of Tehsils Khandela, District Sikar, Tehsil Neemka Thana, Udaipurwati, District Neem ka Thana. The Kantali river become fully developed near village Guhala of District Neem ka Thana and flowing approx. 95 KM through

various villages of District Neem Ka Thana, District Jhunjhunu and District Churu. This river disappears in Tehsil Rajgarh District Churu.

- B. The river is dry and no water is reported in the river. In some place there was kacha Road in the River Bed, which is often used by the nearby villagers for transportation.
- C. The Ground Water Department, Sikar, Jhunjhunu, Churu has reported that there is no piezometer installed in the Kantali River area of block Khandela, Neem ka Thana, Udaipuwati, Khetri, Chirawa, Rajgarh etc to calculate ground water level. The Khandela, Neem ka Thana, Udaipuwati, Khetri, block are categorised in overexploitation area. **(Annexure 2)**
- D. The Water resource Department has submitted that 17 numbers of dams/anicut have been constructed by the department in the catchment area of Kantali River. Out of Which 08 Dams are located in the District Sikar and 09 Dams are located in the District Neem Ka Thana. **(Annexure- 3)**
- E. The Tehsildar Khandela, District Sikar vide letter dated 02/05/2024 has informed that there is no encroachment in the Kantali River, near village Sewali, Guwaria, Kotri luharwas, Tiwari ki Dhani no-1, Beramay luharwas. These are the nearest village of Kantali River. The width of River is different - different in these villages. The minimum width of River is 08 meter in Sewali Village and maximum width of River is 220 meter in Kotri Luharwas. **(Annexure- 4)**
- F. The team has started the visit from tehsil- Khandela, District Sikar. Water Resource Department has constructed the Dam at near Kotri Luharwas under the Kotri minor irrigation project. Presently there is no water in the Dam. The overflow of the Dam flowing through the channel near villages of Tehsil Khandela and entered in to the near village Guhala of District Neem ka Thana, where the rain water from other area also joins and the river become developed. The Team has also visited Budwali Dhani Anicut constructed by Water Resource Department. There is no rainy water in the said Anicut.



Kotri Dam



Budwali Dhani Anicut

- G. Committee has observed pits in the nallah coming from the Chokdi, Jhakda Village this nalla meets in Kantali River, near village Guhala, These pits were created due to excavation of river earth by unknown persons. Present conditions seems that these pits are not fresh pits as brushes/weeds was grown in the area.



- H. The Tehsildar Neem Ka Thana, District Neem Ka Thana vide letter dated 01/05/2024 has informed that there is no encroachment in the Kantali River near village Nersinghpuri, Karanpur, Tiwadi ka Bas, Dehra, Bandhawala Bhopalpura. However some part i.e. 0.60 Ha. encroachment on land in village Guhala, on which proceedings under section 91 A of LR Act are being initiated. The width of the river in the villages of the Tehsil varies from minimum 20 meters to 400 meters as per the revenue record (Annexure-5)
- I. The team has also reported that a pakka road has been constructed on the River bed near kalideh Mandir, village Bandawala Bhopalpura, there was no way leave a path during the flow of water on the paved road above the river bed.



- J. The Tehsildar Udaipurwati, Dist- Neemka Thana vide letter dated 09/05/2024 has informed that there is no encroachment in the village Katlipura, Jagdishpura, Papdakurd, Ramnagar, Jodhpura, Papda kala, Rajeevpura, Manaksas. However, some part of the river encroach by farmer for agriculture purpose at village Bagoli on which proceedings under section 91 A of LR Act are being initiated. The minimum width of the River in Rajeevpura is 30 to 40 meter, whereas the maximum width is 430 to 440 meter in Bagoli, Tehsil- Udaipurwati, Distt- Neem ka Thana. (**Annexure- 6**)
- K. Committee has observed that the River bed is rough and deep & larger pits in the River bed at Bagoli, Jodhpura, pachlangi, papdakurd and nearby area. These pits have been created due to mining of sand. During inspection no sand mining were reported, however regular mining of sand in the river bed cannot be ruled out.





- L. The committee has also reported that some part of land of river is encroach by farmer for agriculture purpose. It was also noted that kaccha road has been constructed in the River Bed



- M. It was reported that pakka road (Bhagoli Neem Ka Thana) constructed on the river bed at Bhagoli. there was no way leave a path during the flow of water on the paved road above the river bed



- N. The Tehsildar, Khetri, District Neem Ka Thana vide letter dated 08/05/2024 has informed that there is no encroachment in the village Sunari, Padewa, Kankariya. Tehsildar has also reported that in the village Norangpura the flow area of the river is registered in the khatedari. The khasra no 742/561,744/561, 745/561, 793/561 & 794/561 is registered in the Niji Khatedari. The Khasra no 628, 638 and 743/561 is registered in Government Account. There is no encroachment in the government area, however no pakka construction in the Niji Khatedari of River Bed.(Annexure- 7)
- O. The Thesildar, Guda Goarji, Distt- Jhunjhunu vide letter dated 16/05/2024 has informed that there is no encroachment in the river bed at near village Bhatiwad, Bhasvisna, Basmana, Hanslasar, Ked, Khatkad, Nagali Nirwan, Shiyonathpura, Ramnagar. It has been noted that in some areas, the local people have started river area and its bed for cultivation purpose. Tehsildar has also reported that in village Heerwana, Naatas, Mainpura, there is encroachment in the River Bed, the Stay of Rajasthan High Court is effective.

the width of the river in the villages of the Tehsil varies from minimum 04 meter to 1800 meter. (**Annexure- 8**)



- P. The Thesildar, Jhunjhunu, Distt- Jhunjhunu vide letter dated 16/05/2024 has informed that there is no encroachment in the river bed at near village Chinchroli, Islampur. However in village Bharounda Khurd, Makhar, Bagar and Bharounda Kalan, total 34 no of illegal encroachment has been reported for which the case has been registered and order for removing the encroachment has been issued under section 91. The width of the river in the villages of the Tehsil Jhunjhunu varies from minimum 40 meters to 1540 meters as per the revenue record. (**Annexure- 9**).
- Q. The Tehsildar , Chirawa, Distt- Jhunjhunu vide letter dated 10/06/2024 has informed that there is no encroachment in the river bed at near village

Kudana, Bhaktavarpura, Solana, Mahrampur, Keharpura, Kurd, Budaniya. Team has reported that some areas, the local people have started river area and its bed for cultivation purpose. Teshildar has also reported that at present according to the Jamabandi 2074-77, the Number of Kadmi Gear Khatedar on the river bed 57 in Dhatarwala, 13 on Kutubpura, 03 in Haripura, 106 in Lamba Gothara,, 63 in village Bajawa, 06 in Bhawanipura, 25 in Alipur and 03 in Gowala. The reiver bed is flat in the villages of Tehsil Chirawa. The width of the river in the villages of the Tehsil Chirawa varies from minimum 08 meters to 1840 meters as per the revenue record (**Annexure- 10**).

- R. The Kantli river finally becomes extinct in Tehsil Rajgarh of Churu. The Tehsildar Rajgarh, Distt- Churu vide letter dated 20/05/2024 has informed that in village Bhudawas for removing encroachment by the people under section 91 is proposed. As per the revenue record, the width of the river in tehsil Rajgarh varies from minimum 15 meters to 52 meters (**Annexure-11**). At the time of visit, riverbed is not visible in said tehsil, river bed is using for agriculture/ cultivation purpose by the local farmers.



4. **Mining Department reply and action taken against illegal mining:** - In Compliance to the orders of Ho'ble NGT, New Delhi, The Department of Mines and Petroleum, Government of Rajasthan has issued order on dated 16/05/2023 and 18/05/2023 to impose Environment Compensation on illegal mining/ transportation of Bajri.(**Annexure-12**) The mining Department has submitted following reply and action taken against the illegal Mining/ transportation of river sand. :-

- A. The Mining Engineer, Department of Mining & Geology, Sikar vide letter dated 01/05/2024 has reported that no lease has been sanctioned for Sand Mining in the Katali River. Department has also informed that earlier Extra Royalty collection contract was allotted from year 12/09/1997 to 11/09/1999, 01/04/2003 to 31/05/2003, and 15/05/2004 to 23/09/2013for sand mining near in village Kotri, Luharwas of River Katali. Presently no mining activity is the area. However, the departmental has imposed penalty and compensation (As


per NGT directions) to the illegal mining of Sand/transformation and storage. Department has identified total 420 violation cases in financial year 2015-16 to 2023-24 and recovered Total Rs 32470558 as penalty and Total compensation Rs 17700000 according to the direction of NGT from 420 cases (**Annexure 13**)

B. The Assistant Mining Engineer, Department of Mining & Geology, Neem Ka Thana vide letter dated 03/05/2024 has reported that no lease has been sanctioned for Sand Mining in the Katali River area of District Neem Ka Thana. However, the departmental has imposed penalty and compensation (As per NGT directions) to the illegal mining of Sand/transformation and storage. Department has identified total 54 violation cases in financial year 2019-20 to 2023-24 and recovered Total Rs 2048100 as penalty and Total compensation Rs 2100000 according to the direction of NGT from 54 cases (**Annexure 14**)

C. The Mining Engineer, Department of Mining & Geology, Jhunjunu has informed that one lease is valid till period upto 02/05/2025 for the mining of sand from river/nallah of Tehsil Khetri, Distt- Neem Ka Thana and Tehsil Buhana District Jhunjunu in favour of M/S Mateshwari Minerals Care. Except above no mining is permitted in Kantali River and near by area. However, the departmental has imposed penalty and compensation (As per NGT directions) to the illegal mining of Sand/transformation and storage. Department has identified total 89 violation cases in financial year 2019-20 to 2023-24 and recovered Total Rs 6080000 as penalty and Total compensation Rs 6100000 according to the direction of NGT from 89 cases (**Annexure 15**)

5. **Conclusion and Recommendation:** - The Kantali river is the main river of Shekhawati region. This river dependent on the rainy season. The main catchment area of river is adjoining area of Tehsils Khandela, District Sikar, Tehsil Neemka Thana, Udaipurvati, District Neem ka Thana. The Kantali river become fully developed near village Guhala of District Neem ka Thana and flows approx. 95 KM through various villages of District Neem Ka Thana, District Jhunjunu and District Churu. This river disappears in Tehsil Rajgarh of District Churu. The river is dry and no water is reported in the river. The width of the river bed varies in the villages of Tehsils of each District. In some place there was kacha Road in the River Bed, which is often used by the nearby villagers for transportation. The committee found that the river bed was uneven, there were deep holes in the riverbed, there was farming, and some places there was no way leave a path during the flow of water on the paved road above the river bed. Committee has also observed sign of illegal mining near various villages such as village Bagoli, Jodhpura, Pachlangi, Papdakurd etc. The mining department is continuously taking action against illegal mining. In view of above the committee has recommended following that:-
1. The Water Resource Department should prepare detailed Project Report for Rejuvenation of Kantali River and should also take action to remove the identified encroachment on the River bed with the help of the district administration and other concerning department such as Mines, PWD etc. The River bed should be levelled so that water can flow without obstruction.
 2. The District Administration, Sikar, Neem Ka Thana, Jhunjunu and Churu should remove illegal encroachment on the River bed in their jurisdiction.
 3. The Mines Department should regular raid/check the area affected by illegal mining on the river bed and take action as per prevailing departmental rules/regulations against the people involved in illegal mining.


The report is being submitted for kind perusal of Hon'ble National Green Tribunal Central Zone Bench, BHOPAL


(Praveen Kumar Jain)
Scientist- B, CPCB, Bhopal


(Pradeep Kumar Asnani)
RO,RSPCB, Sikar


(Ranjeet Singh Godara)
ADM(Adm), District Sikar


(Dinesh Kumar)
Sr. Hydrogeologist, Ground Water
Department Sikar


Nathmal Khedhar
(Xen, Water Resource Department, GoR,
Sikar)

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक :- विधि / 2024 /

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा आवेदन संख्या 59/2024 (सीजेड) उनवानी अमित कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्रांक 07 दिनांक 02.04.2024 के अनुसरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), सीकर को अद्योहरस्ताक्षरकर्ता का एतद्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है।

(कमर चौधरी)

जिला कलक्टर,
सीकर

क्रमांक :- विधि / 2024 / 351

दिनांक :- 04/04/2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), सीकर को पालनार्थ।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), सीकर।

जिला कलक्टर,
सीकर



क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



CM-13012/17/2024-LAW-RD-BHOPAL/17321/2439

दिनांक: 22 मार्च, 2024

Most urgent
NGT Case

प्रति,

सदस्य सचिव
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 ए-4, इंस्टीट्यूशनल एरिया
 झालाना इंगरी
 जयपुर - 302004

विषय: NGT OA No. 59/2024(CZ) "Amit Kumar & Anr. Vs. State of Rajasthan & Ors." में अधिकारी के नामांकन बाबत।

संदर्भ: माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक: 15/03/2024


महोदय,

कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक: 15/03/2024 को विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें कलेक्टर-सीकर, जल संसाधन विभाग एवं नदी विकास राजस्थान, भू-जल विभाग, राजस्थान सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं।

आदेश के अनुसार उक्त समिति द्वारा Factual & Action Taken Report तैयार करके छः सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रकरण में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी है। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 07/05/2024 को नियत की गई है।

उक्त कार्य हेतु इस कार्यालय से श्री प्रवीण जैन, वैज्ञानिक 'ख' (मोबाइल नं.- 7746826294, ईमेल- praveen.cpcb@nic.in) को नामित किया गया है। अनुरोध है कि उपरोक्त हेतु निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि नियत तिथि के पूर्व Factual & Action Taken Report माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,


 (पी. जगन)
 क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि:

- डिप्टी जनरल हेड, विधि अनुभाग, के.प्र.नि.बो., दिल्ली - की ओर कृपया सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.बो., सीकर } की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.बो., झुनझुनु }
- श्री प्रवीण जैन, वैज्ञानिक 'ख' के.प्र.नि.बो., भोपाल - की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय निदेशक

"राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है"

पता: "परिवेश भवन"

पर्यावरण परिसर, ई-5, बरेला कालोनी, भोपाल-462016

ईपीएबीएक्स : 0755-2775385, 2775386

क्षेत्रीय निदेशक टायरेक्ट : 0755-2775384

ई-मेल: cpcb.bhopal@gmail.com, वेबसाइट: www.cpcb.nic.in

"सिंगल यूज़ प्लास्टिक" का करें बहिष्कार

मुख्यालय:

परिवेश भवन

पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

दूरभाष नं: 011-43102030



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No. : 0141-2716877

No. F.10 (562) RPCB/Legal/NGT/2024 /3126

Date: 11/03/2024

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Sikar

Sub: - Hon'ble National Green Tribunal order dated 16.02.2024 in Original Application No. 27/2024(CZ), Kailash V/s State of Rajasthan & Ors.

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT by order dated 16.02.2024 directed inter-alia as follow:-

6. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

(i) One Representative of Collector, District Sikar (Rajasthan.)

(ii) One Representative of State Pollution Control Board, (Rajasthan.)

7. The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks.

The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

You are hereby nominated as member of the committee and also appointed as Nodal Officer on behalf of RSPCB with the direction to ensure compliance of Hon'ble NGT order and file the compliance report of order dated 16.02.2024. The Hon'ble NGT order dated 16.02.2024 is enclosed with this letter for ready reference.

Enclosed-As above

(Vijai N.)
Member Secretary

Copy to following for information and for compliance of Hon'ble NGT order dated 16.02.2024

1. District Collector, Sikar

Signature valid

RajKaj Ref
5990884



Member Secretary
Digitally signed by N. Vijai
Designation: Member Secretary
Date: 2024.03.10 15:43:38 IST
Reason: Approved

Government of Rajasthan
Office of the Incharge Hydrogeologist (Survey & Research)
Ground Water Department, Sikar.

No:- 12

Date:- 05/04/2024

To,


The Regional Officer,
 Rajasthan State Pollution Control Board,
 Sikar.

Subject:- Regarding Information of One Representative from the Ground Water
 Department, Sikar Government of Rajasthan.

Sir,

The Ground Water Department under the above subject is preparing a representative
 information from sikar and sent to your for necessary action.

Sr. No.	Name	Designation	Mobile No.	E-Mail
1	Dinesh Kumar	Senior Hydrogeologist	9829175305	hydroskr@gmail.com


Incharge Hydrogeologist
Ground Water Department Sikar.
 Date:-

No.

Copy :-

1. The District Collector, Sikar.

11
Incharge Hydrogeologist
Ground Water Department Sikar.

कार्यालय अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत जयपुर

क्रमांक:-वृत/जय/११६

दिनांक:- २३/०५/२०२४

कार्यालय-आदेश

श्रीमान मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक F.5()/CEWR/SE(W)/OA No. 59/2024/710 Dated 22.03.2024 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024 (सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स के प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता को संयुक्त कमेटी में जल संसाधन विभाग का प्रतिनिधि नामांकित किया गया है।

उक्त आदेशो की निरंतरता में श्री नथमल खेदड अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड सीकर को जल संसाधन विभाग का सहायक प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है।

Sd/-

अधीक्षण अभियंता
जल संसाधन वृत जयपुर

क्रमांक:-वृत/जय/ ११६- १२२

दिनांक:- २३/०५/२०२४

प्रतिलिपि निम्न सुचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान स्टेट प्रदुषण कंट्रोल बोर्ड जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेन्ट, राजस्थान सरकार, जोधपुर।
3. श्रीमान मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन संभाग जयपुर।
5. श्रीमान जिला कलेक्टर (प्रशासन), सीकर।
6. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड सीकर।

अधीक्षण अभियंता
जल संसाधन वृत जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रभारी भू जल वैज्ञानिक, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, भू जल विभाग, सीकर ।

कमांक:- 36

दिनांक:- 29/4/24

प्रेषित:-

श्रीमान अति. जिला कलक्टर महोदय,
जिला सीकर।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024 (सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ एण्ड अदर्स के संबंध में।

सन्दर्भ:- श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीकर के पत्र कमांक 118-126 दिनांक 22.04.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024 (सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ एण्ड अदर्स के संबंध में दिनांक 15.03.2024 को आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में कांटली नदी जो कि जिला सीकर, नीमकाथाना, झुन्झुनू एवं चुरु से प्रवाहित होती है में हो रहे अवैध खनन एवं अतिक्रमण के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 25.04.2024 के क्रम में तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(दिनेश कुमार) 29/4/24
प्रभारी भू जल वैज्ञानिक
भू जल विभाग, सीकर।

कमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर।
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता एवं नोडल अधिकारी (NGT) भू जल विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक, भू जल विभाग, जयपुर।
4. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीकर।
5. प्रभारी भू जल वैज्ञानिक झुन्झुनू/चुरु

प्रभारी भू जल वैज्ञानिक
भू जल विभाग, सीकर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रभारी भू जल वैज्ञानिक,सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, भू जल विभाग, सीकर ।

तथ्यात्मक रिपोर्ट

बिन्दु नं. 04 - काटली नदी के बहाव क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्र में भू-जल की स्थिति के लिए भू-जल विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी।

भूजल आंकलन प्रतिवेदन 2023(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड) के अनुसार सीकर जिला अतिदोहित (Over exploited) श्रेणी में वर्गीकृत है। जिसमें भू जल दोहन की दर भूजल आंकलन प्रतिवेदन 2023 के अनुसार 192.11 प्रतिशत है। काटली नदी का बहाव क्षेत्र सीकर जिले में खण्डेला एवं नीमकाथाना ब्लॉकों में अवस्थित है। जिसमें भू-जल आंकलन प्रतिवेदन 2023 के अनुसार खण्डेला एवं नीमकाथाना ब्लॉक (वर्तमान में नीमकाथाना जिला) अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत है। जिनमें खण्डेला ब्लॉक में भू-जल दोहन की दर 174.27 प्रतिशत है एवं नीमकाथाना ब्लॉक में भू-जल दोहन की दर 227.40 प्रतिशत है। भू जल आंकलन ब्लॉक को इकाई मानकर कियर जाता है।

काटली नदी के क्षेत्र में भू जल स्तर मापन हेतु भू जल विभाग द्वारा कोई भी पीजोमीटर स्थापित नहीं है।

आस-पास के क्षेत्र की भू जल स्तर की स्थिति निम्नानुसार है।

क.स.	जिला	ब्लॉक	ग्राम	स्थल	अक्षांश	देशान्तर	भू जल स्तर (मीटर में)									
							मॉनसून पूर्व 2019	मॉनसून पश्चात् 2019	मॉनसून पूर्व 2020	मॉनसून पश्चात् 2020	मॉनसून पूर्व 2021	मॉनसून पश्चात् 2021	मॉनसून पूर्व 2022	मॉनसून पश्चात् 2022	मॉनसून पूर्व 2023	मॉनसून पश्चात् 2023
1	सीकर	खण्डेला	खण्डेला	विकास अधिकारी के आवास के सामने पंचायत समिति परिसर खण्डेला	27.5990	75.5024	39.70	38.96	41.59	43.46	43.99	38.64	41.20	36.70	38.79	34.55
2	सीकर	खण्डेला	काँवट	काँवट-चला बाई पास रोड पर बायीं तरफ ग्राम काँवट	27.5838	75.7088	21.28	21.57	22.05	22.97	23.87	24.25	25.64	24.62	25.92	26.50
3	सीकर	खण्डेला	सालवाडी (ढाणी गुमानसिंह ग्राम पंचायत)	नदी के किनारे पर ग्राम सालवाडी	27.6591	75.6130	22.20	17.99	20.84	19.65	21.32	19.56	20.40	16.80	18.15	17.92


29/4/24
(दिनेश कुमार)
प्रभारी भू-जल वैज्ञानिक
भू-जल विभाग, सीकर

4	नीमका धाना	नीमकाथ ाना	गुहाला	राज. उच्च. मा. विद्या. के परिसर में, गुहाला	27. 69 49	75. 065 8	41.79	40.99	42.31	40.61	40.95	39.64	40.91	37.55	37.50	37.26
5	नीम का धाना	नीम का धाना	नृसिंहपुरी	खेल मैदान राज. उच्च मा. वि., तिवारी का बास	27. 70 21	75. 589 7	-	-	-	-	-	-	-	58.16	62.10	59.8
6	नीम का धाना	नीम का धाना	डेहरा जोहड़ी	राज. उच्च. मा. विद्या. डेहरा जोहड़ी	27. 70 40	75. 635 8	-	-	-	-	-	-	-	54.9	56.55	56.1
7	नीम का धाना	नीम का धाना	चला	पशु चिकित्सा लय के पास, चला	27. 65 49	75. 661 5	-	-	-	-	-	-	-	41.8	41.50	45.62


 (दिनेश कुमार) 20/4/24
 प्रभारी भू जल वैज्ञानिक
 भू जल विभाग, स्त्रीकर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रभारी भू जल वैज्ञानिक, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, भू जल विभाग, झुंझुनूं ।

क्रमांक:- 40

दिनांक:- 09/05/24

प्रेषित:-

श्रीमान प्रभारी भू जल वैज्ञानिक
भू जल विभाग
सीकर ।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024 (सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ एण्ड अदर्स के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपके पत्रांक 43.-44 दिनांक 29.04.2024 के कम में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024 (सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ एण्ड अदर्स के संबंध में दिनांक 15.03.2024 को आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में कांटली नदी जो कि जिला, झुंझुनूं से प्रवाहित होती है में हो रहे अवैध खनन एवं अतिक्रमण के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 25.04.2024 के कम में तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Atul Dhawan
09/05/24
(अतुल धवन)
प्रभारी भू जल वैज्ञानिक
भू जल विभाग, झुंझुनूं।

क्रमांक:- 41

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक, भू जल विभाग, जयपुर।

दिनांक:- 09/05/24

Atul Dhawan
09/05/24
प्रभारी भू जल वैज्ञानिक
भू जल विभाग, झुंझुनूं।

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रभारी भू जल वैज्ञानिक,सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, भू जल विभाग, झुंझुनूं।

तथ्यात्मक रिपोर्ट

बिन्दु नं. 04 – काटली नदी के बहाव क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्र में भू-जल की स्थिति के लिए भू-जल विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी।

भूजल आंकलन प्रतिवेदन 2023(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड) के अनुसार झुंझुनूं जिला अतिदोहित (Over exploited) श्रेणी में वर्गीकृत है। जिसमें भू जल दोहन की दर भूजल आंकलन प्रतिवेदन 2023 के अनुसार 217.31 प्रतिशत है। काटली नदी का बहाव क्षेत्र झुंझुनूं जिले में उदयपुरवाटी खेतडी घिडाक एवं पिलानी ब्लॉकों में अवस्थित है। जिसमें भू-जल आंकलन प्रतिवेदन 2023 के अनुसार उदयपुरवाटी एवं खेतडी ब्लॉक (वर्तमान में नीमकाथना जिला) अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत है। जिनमें उदयपुरवाटी ब्लॉक में भू-जल दोहन की दर 214.75 प्रतिशत है एवं खेतडी ब्लॉक में भू-जल दोहन की दर 155.88 प्रतिशत है। भू जल आंकलन ब्लॉक को इकाई मानकर किया जाता है।

काटली नदी के क्षेत्र में भू जल स्तर मापन हेतु भू जल विभाग द्वारा कोई भी पीजोमीटर स्थापित नहीं है।

आस-पास के क्षेत्र की भू जल स्तर की स्थिति निम्नानुसार है।

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	ग्राम	स्थल	अक्षांश	देशान्तर	भू जल स्तर (मीटर में)									
							मॉनसून पूर्व 2019	मॉनसून पश्चात् 2019	मॉनसून पूर्व 2020	मॉनसून पश्चात् 2020	मॉनसून पूर्व 2021	मॉनसून पश्चात् 2021	मॉनसून पूर्व 2022	मॉनसून पश्चात् 2022	मॉनसून पूर्व 2023	मॉनसून पश्चात् 2023
1	झुंझुनूं	उदयपुरवाटी	पंचलगो	शिव मंदिर के पास पंचलगो	27.720278	75.671389	-	-	-	-	-	-	20.00	16.36	19.3	14.72
2	झुंझुनूं	उदयपुरवाटी	नाटारा	नाटारा के जोहड के अन्दर	28.03333	75.566667	58.14	57.75	58.85	58.85	59.95	60.93	62.10	62.40	63.02	62.84
3	झुंझुनूं	खेतडी	काकरियों	नियर प्राईगरी रकुल वंजारा वरती	27.8075	75.683889	49.78	80.75	46.20	39.38	46.60	35.00	48.90	32.20	32.04	29.94
4	झुंझुनूं	झुंझुनूं	भडुदा कर्लो	नियर शहीद रमारक	28-07333	75-528611	51.99	52.78	53.80	54.80	55.80	57.07	57.55	63.40	64.6	63.97

5	झुंझुनूं	झुंझुनूं	भखुंदा खुर्द	नियर मंदिर	28-101111	75-525833	57.82	58.26	59.54	60.60	61.43	61.79	63.30	63.65	63.87	63.12
6	झुंझुनूं	झुंझुनूं	बगळ	नियर जिएस एस	28.185278	75.498333	61.85	62.22	62.86	63.15	63.78	64.09	64.92	65.36	66.13	66.87
7	चिडावा	झुंझुनूं	खुडागा	नियर कांटली पुलिया	28.193056	75.526667	70.24	70.55	70.95	71.20	71.80	72.90	73.10	-	-	-
8	पिलानी	झुंझुनूं	तिगियास	सरकार ी स्कुल के पिछे खेल मैदान में	28.355278	75.440167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.85

Atul Dhawan
09/05/24
(अतुल धवन)
प्रभारी भू जल वैज्ञानिक
भू जल विभाग, झुंझुनूं।

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रभारी भू-जल वैज्ञानिक(स.अ.), भू-जल विभाग, चूरु
(आपणी योजना परिसर, भालेरी रोड, चूरु)

दूरभाष नं.-01562-250401

E-mail- icgwdchuru1@gmail.com

क्रमांक-प्रभूवै/भूजवि/चूरु/2024/370

दिनांक-09.05.2024


प्रभारी भू-जल वैज्ञानिक,
भू-जल विभाग, सीकर।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन
59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ एण्ड अदर्स के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-43-44, दिनांक-29.04.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि चूरु जिले में काँटली नदी के बहाव क्षेत्र
ग्राम-नौरंगपुरा, पंचायत समिति- राजगढ़ में भू-जल विभाग, चूरु द्वारा निर्मित फीजोमीटर अवस्थित नहीं है। तथा
आप-पास का भू-जल स्तर लगभग 45 से 50 मीटर तक है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(लक्ष्मण सिंह राठौड़)
प्रभारी भू-जल वैज्ञानिक
भू-जल विभाग, चूरु

Brief description of Kantli River

Kantli River is the main river of Shekhawati region. It is originating near village Gidhalya of Shrimadhampur tehsil. The main catchment area of Kantli river is formed by the meeting of major drains of adjoining area of Khandela, Shrimadhampur, Neemkathana and Udaipurwati tehsil. Kantli river is fully developed near village Guhala of Neemkathana district and flows about 95 km through various villages Pachalangi, Bagholi, Nourangpura, Kankaria, Deeppura, Kakrana, Kaid, Chhawsari, Bhatiwar, Natas, Bhadunda, Islampur, Khudana, Alipur, Dhattrawala. It enters Churu district near Ranjitpura in Pilani tehsil of Jhunjhunu district and disappears in the sandy dunes near Naurangpura in Churu district. The catchment area of Kantli river is about 700 square km.

In the last 30 years, the Kantli river flow and reached its last end mainly in the year 1996 and in the years 2010 and 2019, after flowing from Guhala, it became extinct near village Pachalangi. Following are some of the main reasons for the limited flow area of Kantli River.


1. Continuous reduction of rainfall in the catchment area of the river and change in rainfall pattern.
2. The inflow of water has been controlled by the concept of field water in the field and along with the independent catchment area has reduced due to the expansion of agricultural sector.
3. In the catchment area of the river, like other areas, the inflow of water into the river is not converted into run-off due to over-exploitation of groundwater.

17 Numbers of dams/anicuts have been constructed by the Water Resources Department in the catchment area of Kantli River, out of which 8 dams are located in Sikar, 9 dams are located in Neemkathana district the list of which is attached.

The rainfall data of the last 29 years of rain gauge stations Khandela, Shrimadhampur, Neemkathana and Udaipurwati located in the river basin is as follows.

SL No.	Year	Total Rainfall In Tehsils (in mm)			
		Udaipurwati	Khandela	Neemkathana	Shrimadhampur
1	1995	935	-	694	744
2	1996	1191	-	890	1185
3	1997	593	-	351	528
4	1998	430	-	163	485
5	1999	259	-	332	265
6	2000	263	-	290	278

SL No.	Year	Total Rainfall In Tehsils (in mm)			
		Udaipurwati	Khandela	Neemkathana	Shrimadhopur
7	2001	240	-	350	401
8	2002	117	-	207	126
9	2003	567	-	524	466
10	2004	328	-	417	323
11	2005	421	-	719	492
12	2006	285	-	384	332
13	2007	394	136.5	342	148
14	2008	484	-	555	505
15	2009	187	-	336	266
16	2010	750	-	1124	695
17	2011	596	-	849	369
18	2012	511	-	680.5	389
19	2013	482	-	510	529
20	2014	549	615	553	504
21	2015	349	210	563	300
22	2016	456	316	650	674.5
23	2017	341	251	429	423
24	2018	578	413.10	838	810.5
25	2019	869	345	619	1018
26	2020	279	323	575	733
27	2021	549	242	581	698
28	2022	485	330.90	412	602
29	2023	478	562	701	523


 EXecutive Engineer
 Water Resources division
 Sikar

District - Sikar

List of Dams/Anicuts constructed by Water Resources Department

S.no.	Name of Pound/Dam	Village	Gram panchayat	Panchayat Samiti	Gross Storage Capacity (MCUM)	Latitude	Longitude	C.C.A.	Executive Agency
1	Sevli Bund	Paniharwas	Paniharwas	Khandela	0.25	27.63903	75.446519	NIL	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
2	Kotri Minor irrigation Project	kotri luharwas	kotri luharwas	Khandela	2.04	27.4155	75.3139	836.38	Water Resources Department
3	Budwali dhani Anicut	kotri luharwas	kotri luharwas	Khandela	0.16	27.69116	75.577472	NIL	Water Resources Department
4	Basri Bund	Basri	Basri	Khandela	0.54	27.3500	75.3500	157	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
5	Kalikhera Bund	Kalikhera	Kalikhera	Khandela	0.76	27.373	75.3545	139	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
6	dkjksgh cka/k	Karohi	Karohi	Khandela	0.69	27.4000	75.3500	156	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
7	Mojipura Bund	Mojipura	Mojipura	Khandela	1.01	27.3600	75.2600	232	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
8	Neemki Bund	Neemki	Neemki	Khandela	1.09	27.3600	75.3500	129	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department

District - Neemkathana

1	Bhudoli Bund	Bhudoli	Bhudoli	Neemkathana	2.58	27.6961	75.6142	664	Water Resources Department
2	Ranasar Bund	Ranasar	Ranasar	Neemkathana	4.41	27.6353	75.6461	1040	Water Resources Department
3	Gavandi Bund	Gavandi	Gavandi	Neemkathana	0.60	27.7022	75.8458	100	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
4	Niranka ki dhani bund	Niranka ki dhani	Chhapoli	Udaipurwati	1.26	27.715	75.5507	302	Water Resources Department
5	Mawata Bund	Mawata	Jahaj	Udaipurwati	1.14	27.7218	75.6041	364	Water Resources Department
6	Ponkh Bund	Ponkh	Ponkh	Udaipurwati	1.33	27.736	75.601	819	Water Resources Department
7	Mansa Mata Anicut	Khoh	Manaksas	Udaipurwati	0.52	27.78647	75.628244	water recharge structure	Water Resources Department
8	Manaksas Anicut	Manaksas	Manaksas	Udaipurwati	0.189	27.76046	75.6308	70	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
9	Mandawara Anicut	Mandawara	Mandawara	Udaipurwati	0.36	27.72359	75.580306	116	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department


Executive Engineer

Water Resources Division Sikar

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) खण्डेला

क्रमांक:- भू.अ./राजस्व/2024 | 623

दिनांक:- 25.04.2024

निमित्त:-

क्षेत्रीय अधिकारी,
राप्रनिम एवं नोडल अधिकारी
सीकर(राजस्थान)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में।

प्रसंग:- आपके पत्र क्रमांक राप्रनिम/क्षे.का. सीकर/सामान्य-253/107-117 दिनांक 25.04.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में सूचना संलग्न प्रारूप में भिजवाई जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

6
तहसीलदार (भू.अ.)
राजस्थान प्राधिकरण
खण्डेला(सीकर)

प्रारूप

आबाद ग्राम	सेवली
ग्राम पंचायत	सेवली
तहसील	खण्डेला
जिला	सीकर
ग्राम की कांटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1 किमी.
कांटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।
राजस्व रिकॉर्ड लट्ठा नक्शा ट्रेस के अनुसार कांटली नदी की चौड़ाई (मीटर में)	न्यूनतम चौड़ाई 8 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 60 मीटर

प्रारूप

आबाद ग्राम	गुवारिया
ग्राम पंचायत	गुवारिया
तहसील	खण्डेला
जिला	सीकर
ग्राम की कांटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1.3 किमी.
कांटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।
राजस्व रिकॉर्ड लट्ठा नक्शा ट्रेस के अनुसार कांटली नदी की चौड़ाई (मीटर में)	न्यूनतम चौड़ाई 25 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 75 मीटर

प्रारूप

आबाद ग्राम	कोटड़ी लुहारवास
ग्राम पंचायत	कोटड़ी लुहारवास
तहसील	खण्डेला
जिला	सीकर
ग्राम की कांटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	2 किमी.
कांटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।
राजस्व रिकॉर्ड लट्ठा नक्शा ट्रेस के अनुसार कांटली नदी की चौड़ाई (मीटर में)	न्यूनतम चौड़ाई 20 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 220 मीटर

तहसीलदार (भ.अ.)
 खण्डेला (सीकर)

प्रारूप

आबाद ग्राम	तिवाड़ी की ढाणी नं.1
ग्राम पंचायत	तिवाड़ी की ढाणी नं.1
तहसील	खण्डेला
जिला	सीकर
ग्राम की कांटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1 किमी.
कांटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।
राजस्व रिकॉर्ड लट्टा नक्शा ट्रेस के अनुसार कांतली नदी की चौड़ाई (मीटर में)	न्यूनतम चौड़ाई 28 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 100 मीटर

प्रारूप

आबाद ग्राम	भैरामय लुहारवास
ग्राम पंचायत	भैरामय लुहारवास
तहसील	खण्डेला
जिला	सीकर
ग्राम की कांटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	700 मी.
कांटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।
राजस्व रिकॉर्ड लट्टा नक्शा ट्रेस के अनुसार कांतली नदी की चौड़ाई (मीटर में)	न्यूनतम चौड़ाई 25 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 130 मीटर


 तहसीलदार (भू.अ.)
 खण्डेला (सीकर)

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) नीमकाथाना जिला नीमकाथाना

कमाक भू.अ./2024/ 2322

दिनांक:- 1.5.24

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी
राप्रनिम, एवं नोडल अधिकारी
सीकर राजस्थाना

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन
59/2024 (सी.जेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ
राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में।
प्रसंग:- आपके पत्र कंमाक-राप्रनिम/क्षै.का.सीकर/सामान्य-253/107-117
दिनांक 25.04.2024।

महोदय,

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(स.जेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स
बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में
सूचना संलग्न प्रारूप में भिजवायी जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


तहसीलदार (भू.अ.)
नीमकाथाना (भू. अ.)
नीमकाथाना

प्रारूप

आबाद ग्राम	नृसिंहपुरी (ढाणी त्रिलोकपुरा)
ग्राम पंचायत	नृसिंहपुरी
तहसील	नीमकाथाना
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	100 मीटर (न्यूनतम 20 मीटर अधिकतम 242 मीटर - केदार)
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

प्रारूप

आबाद ग्राम	कर्णपुरा
ग्राम पंचायत	नृसिंहपुरी
तहसील	नीमकाथाना
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	60 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है। (न्यूनतम 20 मीटर अधिकतम 242 मीटर - केदार)

प्रारूप

आबाद ग्राम	तिवाडी का बास
ग्राम पंचायत	नृसिंहपुरी
तहसील	नीमकाथाना
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	920 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है। (न्यूनतम 20 मीटर अधिकतम 242 मीटर - केदार)

तहसीलदार (नू. 3)
नीमकाथाना

प्रारूप

आबाद ग्राम	डेहरा
ग्राम पंचायत	डेहरा जोहडी
तहसील	नीमकाथाना
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	डेहरा से 2500 मीटर व शिव नगर से 650 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है। (चौड़ाई - न्यूनतम 56 मीटर अधिकतम 84 मीटर)

प्रारूप

आबाद ग्राम	बंधावाला भोपालपुरा
ग्राम पंचायत	डेहरा जोहडी
तहसील	नीमकाथाना
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	बंधावाला भोपालपुरा से 1700 मीटर व शिव नगर से 300 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है। (चौड़ाई - न्यूनतम 50 मीटर, अधिकतम 140 मीटर)

प्रारूप

आबाद ग्राम	गुहाला
ग्राम पंचायत	गुहाला
तहसील	नीमकाथाना
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	110 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	आंशिक भाग 0.60 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण है। जिस पर एल आर एक्ट की धारा 91 की कार्यवाही जैरकार है।

(चौड़ाई - न्यूनतम 40 मीटर अधिकतम 400 मीटर)

तहसीलवार (पू. अ.)
नीमकाथाना

राजस्थान सरकार

संशोधित

कार्यालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना

क्रमांक:-राजस्व/2024/319

दिनांक :- 09/05/2024

प्रेषिति-

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,
राप्रनिम, एवं नोडल अधिकारी
सीकर राजस्थान

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024 (सी.जेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में।

प्रसंग:- आपके पत्र क्रमांक राप्रनिम/क्षेत्रकात्रसीकर/सामान्य-253/107-117 दिनांक 25.04.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024 (सी.जेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में सूचना सलंगन प्रारूप में भिजवाई जा रही है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार


तहसीलदार उदयपुरवाटी
तहसीलदार उदयपुरवाटी
नीमकाथाना

प्रारूप

आबाद ग्राम	काटलीपुरा
ग्राम पंचायत	पचलंगी
तहसील	उदयपुरवाटी
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	500 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

प्रारूप

आबाद ग्राम	जगदीशपुरा
ग्राम पंचायत	पापड़ाकलां
तहसील	उदयपुरवाटी
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1000 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

प्रारूप

आबाद ग्राम	पापड़ाखुर्द
ग्राम पंचायत	पापड़ाखुर्द
तहसील	उदयपुरवाटी
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1000 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।


तहसीलदार उदयपुरवाटी
 नीमकाथाना

प्रारूप

आबाद ग्राम	रामनगर
ग्राम पंचायत	बागोली
तहसील	उदयपुरवाटी
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र-से दूरी	1.5 किमी
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

प्रारूप

आबाद ग्राम	बागोली
ग्राम पंचायत	बागोली
तहसील	उदयपुरवाटी
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	200 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	नदी पेटें में कुछ हिस्सों पर काश्त हेतु अतिक्रमण किया गया है जिसकी धारा 91 की कार्यवाही जैरकार है।

प्रारूप

आबाद ग्राम	जोधपुरा
ग्राम पंचायत	जोधपुरा
तहसील	उदयपुरवाटी
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	700 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

प्रारूप

आबाद ग्राम	पापड़ा कलां
ग्राम पंचायत	पापड़ा कलां
तहसील	उदयपुरवाटी
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	800 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

प्रारूप

आबाद ग्राम	राजीवपुरा
ग्राम पंचायत	मणकसास
तहसील	उदयपुरवाटी
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1000 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

प्रारूप

आबाद ग्राम	मणकसास
ग्राम पंचायत	मणकसास
तहसील	उदयपुरवाटी
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1000 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

प्रारूप

क्र.सं.	ग्राम का नाम	बहाव क्षेत्र की न्यूनतम दूरी मीटर में	बहाव क्षेत्र की अधिकतम दूरी मीटर में
1	मणकसास	80 से 100	280 से 300
2	राजीवपुरा	30 से 40	50 से 70
3	पापड़ा कला	50 से 60	80 से 100
4	पापड़ा खुर्द	40 से 50	60 से 80
5	जगदीशपुरा	130 से 150	360 से 380
6	काटलीपुरा	120 से 140	280 से 300
7	रामनगर	170 से 180	275 से 285
8	जोधपुरा	125 से 135	350 से 360
9	बागोली	190 से 200	430 से 440


 तहसीलदार उदयपुरवाटी
 नीमकाथाना

ਪਦਾਰਥ ਮਾਸੇਸ਼ ਚੈਕਿਓਲੋ ਓ ਰਾਜਕੁ ਏਮੁ ਚੈ ਚੈ. ਚੈ. ਚੈ ਚੈ ਚੈ. ਚੈ. ਚੈ
ਚੈਕਿਓਲੋ 105 ਚੈ 135 ਚੈ ਚੈ ਚੈ ਚੈਕਿਓਲੋ ਚੈਕਿਓਲੋ 350-360 ਚੈ ਚੈ ਚੈ

ਪਦਾਰਥ ਮਾਸੇਸ਼ ਚੈਕਿਓਲੋ ਓ ਰਾਜਕੁ ਏਮੁ ਚੈ ਚੈ. ਚੈ. ਚੈ ਚੈ ਚੈ
ਚੈਕਿਓਲੋ ਚੈਕਿਓਲੋ 275-285 ਚੈ ਚੈ ਚੈ ਚੈਕਿਓਲੋ-ਚੈਕਿਓਲੋ ਚੈ ਚੈ
ਚੈਕਿਓਲੋ ਚੈਕਿਓਲੋ 170-180 ਚੈ ਚੈ

ਪਦਾਰਥ ਮਾਸੇਸ਼ ਚੈਕਿਓਲੋ ਓ ਰਾਜਕੁ ਏਮੁ ਚੈ ਚੈ. ਚੈ. ਚੈ ਚੈ ਚੈ
ਚੈਕਿਓਲੋ ਚੈਕਿਓਲੋ 430-440 ਚੈ ਚੈ ਚੈ ਚੈ ਚੈ ਚੈ ਚੈ ਚੈ

ਚੈਕਿਓਲੋ
ਚੈਕਿਓਲੋ
ਚੈਕਿਓਲੋ-ਚੈਕਿਓਲੋ

श्रीमान, श्रीमान रहसीलवाट महो.
उमपुरा वारी

विषय:- कारली नदी के बहाव क्षेत्र की न्यूनतम व अधिकतम डूरी के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषयसम्बन्धित निम्न है कि पटना मण्डल पंचसजी, पापडा नली, व मण्डलसारा के राजस्व ग्रामों में कारली नदी के बहाव क्षेत्र की डूरी निम्न अनुसार है।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	बहाव क्षेत्र की न्यूनतम डूरी (मीटर में)	अधिकतम डूरी
1	कारलीपुरा	120 से 140 मीटर	220 से 300
2	आशीशपुरा	130 से 150	360 से 380
3	पापडा नली	50 से 60	80 से 100
4	पापडा कुंड	40 से 50	60 से 80
5	राजीवपुरा	30 से 40	50 से 70
6	मण्डलसारा	80 से 100	280 से 300

श्रीमान जी कारली नदी के बहाव क्षेत्र की डूरी उपरोक्तानुसार है। रिपोर्ट सेवामें फेका है—

7/5/24
पतालौजी



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-240009, e-mail: rjspcb.sikar@gmail.com



प्रारूप

आवाद ग्राम	मण्डक सास
ग्राम पंचायत	मण्डक सास
तहसील	बनपुरा
जिला	नमकीसा
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1 KM
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	— Nil —

1/5/24
च. मण्डक सास



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board

Shri Singhpura Housing Board, Rawalgarh Road, Sikar - 312001
Phone: 01572-248009, e-mail: rtpcb.sikar@gmail.com



संख्या

आमद ग्राम	आमद ग्राम
ग्राम पंचायत	आमद ग्राम
तहसील	आमद ग्राम
जिला	आमद ग्राम
ग्राम की कारली नदी के बहाव क्षेत्र से सूखी	आमद ग्राम
कारली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की	आमद ग्राम
स्थिति में की गई कार्यवाही	आमद ग्राम

Chief
1/12/2011
डा. मन्मथ शर्मा



Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawaigarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-240009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

प्रारूप

आबाद ग्राम	पापडाकला
ग्राम पंचायत	पापडाकला
तहसील	उदयपुर (वारी)
जिला	सिमरानगर
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	800 M
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	— Nil —

1/5/24
 प. पापडाकला



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board

Shri Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-249009, e-mail: rpspcb.sikar@gmail.com



प्रारूप

आवरण	जापडा खुदे
सकल प्रदूषण	जापडा रसा
प्रदूषण	उदमपुर नदी
उत्सर्ग	सीम साधाना
उत्सर्ग की आदली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1 KM
आदली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की	— N/A —
क्षेत्र में की गई कार्यवाही	

Signature
1/5/24
प. 4145101



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-240002, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com



प्रारूप

आबाद ग्राम	जगदीशपुरा
ग्राम पंचायत	पापडाकला
तहसील	डुक्कपुरवाडी
जिला	सीमरथाता
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1 KM
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	— निहित —

Druf
115/24
प-414/15/24



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-240099, e-mail: rcspcb.sikar@gmail.com



प्रारूप

आबाद ग्राम	काटलीपुरा
ग्राम पंचायत	पचलंगी
तहसील	डुबसपुरा
जिला	नीमडाभाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	500 M
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	— 11/5/24 —

11/5/24
प. ~~सिंह~~ पचलंगी

प्रारूप

आबाद ग्राम	रामनगर
ग्राम पंचायत	बागोली
तहसील	उदमपुरखाली
ज़िला	नीम च खाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1 1/2 km
काटली नदी के ताल में अतिप्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	Nil

[Signature]
 01/05/24
 प. म. बागोली

प्रारूप

आबाद ग्राम	जोधपुरा
ग्राम पंचायत	जोधपुरा
तहसील	उदमपुरवारी
जिला	नीम का थाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	700 meter
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	— NPL —

Hand
 07/05/24
 आर.प.न. - 2024


प्रारूप

आबाद ग्राम	बागौली
ग्राम पंचायत	बागौली
तहसील	उदयपुरवादी
जिला	मीम का थाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	200 meter
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	नदी पेटे में कुछ हिस्से पर अतिक्रमण काष्ठ डेल, छिमा गया है जिसकी धारा 9L की कामवाड़ी जैरकाद है

[Signature]
 04/05/24
 प० न० बागौली

प्रारूप

आबाद ग्राम	बागौली
ग्राम पंचायत	बागौली
तहसील	उदयपुरवादी
जिला	नीम च धान
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	200 meter
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	— NIL —


 04/07/24
 प.स. बागौली

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी जिला नीम का थाना

क्रमांक:- भू0अ0/2024/522

दिनांक 08.05.2024

प्रेषित:-

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी
राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय सीकर ।


विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024 (सीजेड) अमित कुमार एंड
अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राज.एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में ।

प्रसंग:-आपके पत्रांक:राप्रनिम/क्षे.का.सीकर/सामान्य-253/187-188 दिनांक 06.05.2024 के सन्दर्भ में ।

महोदय ,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा चाही गई सूचना तहसील खेतड़ी में काटली नदी
के बहाव क्षेत्र में स्थित ग्राम सुनारी, नौरंगपुरा, कांकरिया एवं पदेवा से सबन्धित सूचना संलग्न प्रारूप में
संकलन कर सेवा में प्रेषित है ।

संलग्न:-प्रारूप नग 4


तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी
जिला - नीमकाथाना (राज.)



Regional Office Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar 332001
Phone 01572-248009, e-mail, rcp PCB, sikar@gmail.com



प्रारूप

आबाद ग्राम	खुनारी
ग्राम पंचायत	नौरंगपुरा
तहसील	खेतड़ी
जिला	डुंगरपुर
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	800 मीटर (लगभग) न्यूनतम बहाव क्षेत्र = 15 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार	काटली नदी के बहाव क्षेत्र में लकड़ें लेकिके बहाव क्षेत्र सीमावर्ती
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	ग्राम नौरंगपुरा तहसील डुंगरपुरा में है। नहीं।

ग्राम खुनारी में (ब.न. 248 रकबा 5.20 है) जो नदी राजकीय खाता है।
में दर्ज रिकॉर्ड है। काटली नदी का मुहाना बहाव क्षेत्र ग्राम नौरंगपुरा में आता है।

7/5/24
M.M. नौरंगपुरा

2.5
तहसीलदार (पू. अं) खेतड़ी
जिला - नीमकाथाना (राज.)



Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shri Singhania Housing Board, Bawalgach Road, Sikar 312001

Phone: 01572-240009, 240010, 240011, 240012, 240013, 240014, 240015



प्रारूप

आवासीय ग्राम	नीरंगपुरा
ग्राम पंचायत	नीरंगपुरा
तहसील	खेतड़ी
जिला	नीमकावाणा
ग्राम की काटली नदी के महाव क्षेत्र से दूरी	300 मीटर (लगभग)
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार	ग्राम नीरंगपुरा में काटली नदी का बराब क्षेत्र करान शुद्ध नहीं है। सरकारी क्षेत्र खेतड़ी में 500 मी. मोका खुला - न्यूनतम 200 मी. अधिकतम 380 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण हानि की रिपोर्ट में की गई कार्रवाई	बराब क्षेत्र के विवरण खण्ड नं. 743/561, 744/561, 745/561, 793/561 व 794/561, खेतड़ी में 500 मी. तथा खण्ड नं. 628 व 631 खेतड़ी में 500 मी. नदी सरकारी खेतड़े एवं खण्ड नं. 743/561 खेतड़ी में सरकारी खेतड़े में 500 मी. सरकारी खेतड़े में कोई अतिक्रमण नहीं है। तथा निजी खेतड़ी में कोई पुष्प निर्माण नहीं है।

7/5/24
24/10/24

L.S

तहसीलदार (नू. अ.) खेतड़ी
जिला - नीमकावाणा (राज.)

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shri Singhpura Housing Board, Nawalgadh Road, Sikar - 332001
Phone: 01572-218000, e-mail: rcp@pcbsikar@gmail.com



प्रारूप

आबाद ग्राम	पदेवा
ग्राम पंचायत	दलेलपुर
तहसील	खेतड़ी
जिला	नीमकाधाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	900 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 360 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 640 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	किसी उमर का कोई अतिक्रमण नहीं।

काटली नदी का बहाव क्षेत्र ग्राम-पोरा के खलश नम्बर 376 रकबा 54.35 कि.मी. गं. कु. नदी, नाले व ख.न. 430 रकबा 17.24 कि.मी. गं. कु. नदी, नाले में आता है जो रानकीम बाग (ख.न. 01 में) है।

[Signature]
07.05.2024
प. दलेलपुर

C.S.
तहसीलदार (शु. अ.) खेतड़ी
जिला - नीमकाधाना (राज.)

Regional Office


Rajasthan State Pollution Control Board

Shri Singhpura Housing Board, Nawaagarh Road, Silar - 312001
Phone: 01572-240009, e-mail: rppcsil@rajpcb.org

प्रारूप

आवासीय ग्राम	कांकरिया
ग्राम पंचायत	कांकरिया
तहसील	खैतड़ी
जिला	नीमकाथाना
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	550 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं	न्यूनतम चौड़ाई - 88 मीटर
अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार	अधिकतम चौड़ाई - 380 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण हानि की	कोई अतिक्रमण नहीं
स्थिति में की गई कार्यवाही	

काटली नदी का बहाव क्षेत्र
ग्राम कांकरिया के खसरा नं. 1609
रकबा 37.88 कि.मी. - गै.मु., ख.न.
1597 रकबा 22.79 कि.मी. - गै.मु.
व 1689 रकबा 6.69 कि.मी. - गै.मु.
में आता है जो राजस्व खाता नं. 1
में दर्ज रिकॉर्ड है।


07/05/2024
पापसी - कांकरिया

C.S.
तहसीलदार (सू. अ.) खैतड़ी
जिला - नीमकाथाना (राज.)

कार्यालय तहसीलदार गुढा गोडजी जिला झुंझुनू (राज.)

क्रमांक/राजस्व/2024/ 528

दिनांक:- 16/5/2024

लिखित:-

क्षेत्रीय अधिकारी,
राप्रनिम, एंव नोडल अधिकारी
सीकर (राज0)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59 /2024 (सीजेड) उनवानी अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में।

प्रसंग:- आपके पत्र क्रमांक/राप्रनिम/क्षे.का.सीकर/सामान्य-253/187-188 दिनांक 06.05.2024 महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59 /2024 (सीजेड) उनवानी अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में सूचना संलग्न प्रारूप में भिजवाई जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


तहसीलदार
गुढा गोडजी (झुंझुनू)

प्रारम्भ

आबाद ग्राम	भाटीवाड
ग्राम पंचायत	भाटीवाड
तहसील	गुढा गौडजी
जिला	झुझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1530 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 600 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

आबाद ग्राम	वासविसना
ग्राम पंचायत	भाटीवाड
तहसील	गुढा गौडजी
जिला	झुझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	3400 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 110 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 760 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

आबाद ग्राम	वासमाना
ग्राम पंचायत	भाटीवाड
तहसील	गुढा गौडजी
जिला	झुझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	760 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 1460 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 1600 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

आबाद ग्राम	हांसलसर
ग्राम पंचायत	हांसलसर
तहसील	गुढा गौडजी
जिला	झुझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	980 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 04 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 270 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।


 तहसीलदार
 गुढा गौडजी (झुझुनू)

आबाद ग्राम	हीरवाना
ग्राम पंचायत	मैनपुरा
तहसील	गुढा गौडजी
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1710 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 880 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	मैनपुरा में गै.नु. नदी में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है जिनमें अतिक्रमण है उनमें राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर का स्थगन प्रभावी है

प्रारूप

आबाद ग्राम	केड
ग्राम पंचायत	केड
तहसील	गुढा गौडजी
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	1600 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 80 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 1000 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

आबाद ग्राम	खटकड
ग्राम पंचायत	केड
तहसील	गुढा गौडजी
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	4400 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 20 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 620 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

आबाद ग्राम	नगली निर्वाण
ग्राम पंचायत	केड
तहसील	गुढा गौडजी
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	500 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 04 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 80 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

प्रारूप

आबाद ग्राम	नाटारस
ग्राम पंचायत	नाटारस
तहसील	गुढा गौडजी
जिला	झुझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	2300 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 600 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 1800 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	नाटारस में गै.मु. नदी में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है जिनमें अतिक्रमण है उनमें राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर का स्थगन प्रभावी है

आबाद ग्राम	श्रीनाथपुरा
ग्राम पंचायत	नाटारस
तहसील	गुढा गौडजी
जिला	झुझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	150 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 04 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 130 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

आबाद ग्राम	रामनगर
ग्राम पंचायत	नाटारस
तहसील	गुढा गौडजी
जिला	झुझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	2300 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 600 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 1800 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।

प्रारूप

आबाद ग्राम	मैनपुरा
ग्राम पंचायत	मैनपुरा
तहसील	गुढा गौडजी
जिला	झुझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	2920 मीटर
ग्राम में काटली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार	ग्राम में नदी की न्यूनतम चौड़ाई 260 मीटर व अधिकतम चौड़ाई 1050 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	मैनपुरा में गै.मु. नदी में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है जिनमें अतिक्रमण है उनमें राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर का स्थगन प्रभावी है



राजस्थान-सरकार

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू

क्रमांक: रीडर/कोर्ट/2024/167

दिनांक 16/5/24

निमित्त

- ✓ श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. एवं नोडल अधिकारी
सीकर (राज)

विषय : माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लिकेशन 59/2024 (सीजेड) अनिल कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के सम्बन्ध में।

प्रसंग आपका पत्र क्रमांक 107-117 दिनांक 25.04.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा चाही गई सूचना तहसील क्षेत्र झुन्झुनू से निम्नानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित है।

आबाद ग्राम	ग्राम पंचायत	ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	नदी की चौड़ाई का विवरण	
				अधिकतम चौड़ाई	न्युनतम चौड़ाई
भडौन्दा खुर्द	भडौन्दाखुर्द	600 मीटर	ग्राम भडौन्दाखुर्द में काटली नदी पर किये गये अतिक्रमण को चिन्हित कर कुल 08 प्रकरण में 13.72 है० भूमि धारा 91 के तहत दर्ज कर बेदखली आदेश जारी किये गये।	1280	816
चिंचडौली	भडौन्दा खुर्द	1000 मीटर	—	460	40
माखर	माखर	1 किमी	ग्राम माखर में काटली नदी पर किये गये अतिक्रमण बाबत 15 प्रकरण दर्ज होकर बेदखली आदेश जारी कर 0.3143 है० भूमि अतिक्रमण के बेदखली आदेश जारी किये गये	360	112
बगड़	बगड़	5 किमी	बगड़ में काटली नदी पर किये गये अतिक्रमण बाबत 5 प्रकरण दर्ज	270	116

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू

कमांक: रीडर / कोर्ट / 2024 /

दिनांक

			होकर बेदखली आदेश जारी कर 0.95 भूमि अतिक्रमण के बेदखली आदेश जारी किये गये		
भडौन्दाकलां	भडौन्दाकलां	1 किमी	भडौन्दाकलां में काटली नदी पर किये गये अतिक्रमण बाबत 6 प्रकरण दर्ज होकर बेदखली आदेश जारी कर 0.2260 है. भूमि अतिक्रमण के बेदखली आदेश जारी किये गये	1466	136
इस्लामपुर	इस्लामपुर	750 मीटर	—	1540	604
भडौन्दाकलां	वृदावन	—	—	—	—

रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


 तहसीलदार, झुन्झुनू

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू (राज.)
Email id- tdr.chw@gmail.com , Phone No.- 220014

क्रमांक/राजस्व/2024/ 461-62

दिनांक 10-6-2024

प्रेषित:-

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी,
राप्रनिम, एवं नोडल अधिकारी
सीकर

विषय :-माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण original application न. 59/2024(cz) अमित कुमार एण्ड अर्दस बनाम स्टेट ऑफ राज. एण्ड अर्दस में पारित दिनांक 15.03.2024 के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- श्रीमान् जी का पत्र क्रमांक राप्रनिम/क्षेत्र.का.सीकर/सामान्य-253/107-117 दिनांक 25.04.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण original application न. 59/2024(cz) अमित कुमार एण्ड अर्दस बनाम स्टेट ऑफ राज. एण्ड अर्दस में पारित दिनांक 15.03.2024 के सम्बन्ध सूचना सलग्न प्रारूप में भिजवाई जा रही है।

रिपोर्ट श्रीमान् जी कि सेवा में सादर प्रेषित है।



तहसीलदार चिड़ावा

क्रमांक/राजस्व/2024/ 461-62

दिनांक 10-6-2024

प्रतिलिपी:- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झुंझुनू को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।



तहसीलदार चिड़ावा

प्रारूप

आबाद ग्राम	धत्तरवाला
ग्राम पंचायत	धत्तरवाला
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	1000 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 98 मी. अधिकतम 254 मी.

ग्राम धत्तरवाला में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या धत्तरवाला - 57

प्रारूप

आबाद ग्राम	कुतुबपुरा
ग्राम पंचायत	धत्तरवाला
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	1000 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 70 मी. अधिकतम 189 मी.

ग्राम कुतुबपुरा में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या कुतुबपुरा - 13

प्रारूप

आबाद ग्राम	हरिपुरा
ग्राम पंचायत	खुडिया
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	1600 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 18 मी. अधिकतम 146 मी.

ग्राम हरिपुरा में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या हरिपुरा - 03


तहसीलदार चिड़ावा

प्रारूप

आबाद ग्राम	लाम्बा गोठड़ा
ग्राम पंचायत	लाम्बा गोठड़ा
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	1000 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 80 मी. अधिकतम 30 मी.

ग्राम लाम्बा गोठड़ा में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या लाम्बा गोठड़ा - 106

प्रारूप

आबाद ग्राम	खुडाना
ग्राम पंचायत	खुडाना
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	500 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 46 मी. अधिकतम 1000 मी.

ग्राम खुडाना में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या खुडाना - शुन्य

प्रारूप

आबाद ग्राम	बख्तावरपुरा
ग्राम पंचायत	बख्तावरपुरा
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	1800 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 42 मी. अधिकतम 150 मी.

ग्राम बख्तावरपुरा में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या बख्तावरपुरा - शुन्य

422
तहसीलदार चिड़ावा

प्रारूप

आबाद ग्राम	बजावा
ग्राम पंचायत	बजावा
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	1250 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिती में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 8मी. अधिकतम 36 मी.

ग्राम बजावा में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या बजावा - 63

प्रारूप

आबाद ग्राम	भवानीपुरा
ग्राम पंचायत	बजावा
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	1000 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिती में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 20 मी. अधिकतम 140 मी.

ग्राम भवानीपुरा में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या भवानीपुरा - 06

प्रारूप

आबाद ग्राम	अलीपुर
ग्राम पंचायत	अलीपुर
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	763 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिती में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 50 मी. अधिकतम 180 मी.

ग्राम अलीपुर में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या अलीपुर - 25

तहसीलदार चिड़ावा

प्रारूप

आबाद ग्राम	सोलाना
ग्राम पंचायत	सोलाना
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	1300 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 170 मी. अधिकतम 1260 मी.

ग्राम सोलाना में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या सोलाना - शुन्य

प्रारूप

आबाद ग्राम	महरमपुर
ग्राम पंचायत	सोलाना
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	1800 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 20 मी. अधिकतम 170 मी.

ग्राम महरमपुर में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या महरमपुर - शुन्य

प्रारूप

आबाद ग्राम	गोवला
ग्राम पंचायत	गोवला
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	500 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 1045 मी. अधिकतम 1840 मी.

ग्राम गोवला में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या गोवला - 03

तहसीलदार चिड़ावा

प्रारूप

आबाद ग्राम	केहरपुरा खुर्द
ग्राम पंचायत	भामरवासी
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	1400 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिती में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 288 मी. अधिकतम 800 मी.

ग्राम केहरपुरा खुर्द में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या केहरपुरा खुर्द - 0

प्रारूप

आबाद ग्राम	बुडानियां
ग्राम पंचायत	बुडानियां
तहसील	चिड़ावा
जिला	झुंझुनू
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	1900 मी.
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिती में की गई कार्यवाही	शुन्य
नदी की न्यूनतम व अधिकतम चौड़ाई	न्यूनतम 26 मी. अधिकतम 34 मी.

ग्राम बुडानिया में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार कदमी गैर खातेदार खातों की सख्या बुडानियां - 0


तहसीलदार चिड़ावा

राजस्थान - सरकार
← →

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ) राजगढ़ जिला चूरु
दिनांक:- 20/05/2024

क्रमांक/भू.अ/2024/1607

कीर्तिश्री अतिरिक्त एवं जोड़ल अधिकारी
राजस्थान स्टेट पीलब्रुशिंग कंट्रोल बोर्ड
श्रीनील कार्यालय सीकर।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ऑरिजिनल एपलडिग्राम 59/2024 (सीजेड)
अमित कुमार एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राज एंड अदर्स में पारित आदेश
दिनांक 15.03.2024 के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रक: राष्ट्रिय/श्री.कार्या.सीकर/सामान्य/253/187-188 दिनांक 0.6.05.
2024 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा चही गई खपना तहसील
राजगढ़ में कटली नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित ग्राम बुढावास से संबंधित खपना
संलग्न प्रारूप में तैयार कर सेवा में उपस्थित है।

संलग्न:- प्रारूप नं. - 01

जय शंकर
तहसीलदार (भू.अ.)
राजगढ़ (चूरु)



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com



प्रारूप

आबाद ग्राम	बुढ़ागास
ग्राम पंचायत	ठिमाऊ डोरी
तहसील	राजगढ़
जिला	सूरा
ग्राम की काटली नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	500 मीटर (लगभग) न्यूनतम चौं = 15 मीटर अधिकतम चौं = 52 मीटर
काटली नदी के ताल में अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	धारा-91 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित उ.नं. 219, 244, 291 व 303 में

ग्राम बुढ़ागास में उ.नं. 219, 244, 291 व 303 में कुल रकम 6.93 लाख
जो.पु. नदी राजकीय खाली संरक्षा में दर्ज रिजर्व है। काटली नदी का मुख्य
कारण है। ग्राम बुढ़ागास में ही शाला है।

10/05/24
बन्वारी शीरंगपुरी

C. S.
जयशंकर
तहसीलदार (भू.अ.)
राजगढ़ (सूरा)

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक:प.14(19)खान/गुप-2/2015 पार्ट-II 'सी'

जयपुर, दिनांक : 16 MAY 2023

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 140/2014 नंगाराम डांगी के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 19.02.2018 की पालना में जयसमंद लेक, उदयपुर में बजरी के अवैध खनन/निर्गमन में लिप्त वाहनों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रूपये 1.00 लाख अधिशोपित की गई थी।

पर्यावरण क्षतिपूर्ति की उक्त शास्ती राशि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 4239/2019 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2019 के तहत संपूर्ण राज्य में बजरी के अवैध खनन/निर्गमन में लिप्त वाहनों से वसूल की जा रही है।

अवैध खनन/निर्गमन में लिप्त वाहनों के संबंध में माननीय एन.जी.टी. द्वारा ओ.ए. संख्या 44/2016 मुस्तकीम बनाम MoEF व अन्य में दिनांक 05.04.2019 को आदेश पारित कर निर्देश दिये कि ऐसे वाहनों को शोरूम कीमत की 50 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने पर रिलीज किया जावे। इसके उपरान्त माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 05.04.2019 में संशोधन कर आदेश दिनांक 19.02.2020 से खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन में लिप्त वाहनों पर निम्नानुसार पेनल्टी राशि वसूल करने के निर्देश दिये गये:-

क्र.स.	वाहन की श्रेणी	शास्ति राशि
1	वाहनों/उपकरणों/एक्सकेवेटर्स जिनका शोरूम मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक और 5 साल से कम पुराने होने पर	रुपये 4 लाख
2	वाहनों/उपकरणों/एक्सकेवेटर्स जिनका शोरूम मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक और 5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम पुराने होने पर	रुपये 3 लाख
3	शेष वाहनों/उपकरणों/एक्सकेवेटर्स जो 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं, क्रमांक 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आते।	रुपये 2 लाख

नोट-I : उसी वाहन/उपकरण द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने पर आदेश दिनांक 05.04.2019 लागू होगा।

नोट-II : वाहन/उपकरण को जप्ती की तारीख से एक महीने की अवधि तक रिहाई/छोड़ने का विकल्प उपलब्ध हो सकता है और उसके बाद वाहनों को जब्त और नीलाम किया जा सकता है।

माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 से अन्य प्रकरणों के साथ उक्त ओ.ए. संख्या 44/2016 को भी निस्तारित करते हुए पूर्व में पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 की पालना के भी निर्देश दिये गये हैं।

चूंकि बजरी के अवैध खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना अत्यावश्यक है, अतः माननीय एन.जी.टी. द्वारा उक्तानुसार पारित निर्देशों की पालना में बजरी के अवैध खनन/निर्गमन में लिप्त वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु वर्तमान में निर्धारित राशि रूपये 1.00 लाख के स्थान पर माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 19.02.2020 एवं 26.02.2021 के आधार पर उपरोक्त वर्णित सारणी अनुसार शास्ती राशि वसूल करने की कार्यवाही तुरंत प्रभाव से अमल में लायी जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,


(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- **16 MAY 2023**

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री खान एवं गोपालन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी, खान विभाग, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

प.सं: 14(09)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट-11 'सी'

जयपुर, दिनांक : 18 MAY 2023

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.05.2023 के द्वारा माननीय एन. जी.टी. के आदेशों के अनुरूप खनिज बजरी के अवैध खनन/निगमन पर सारणी में वर्णित केवल 25 लाख से अधिक कीमत के वाहनों/उपकरणों/एक्सकेवेटर्स के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शास्ती निर्धारित की गयी थी।

अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश दिनांक 16.05.2023 में वर्णित सारणी के अतिरिक्त अन्य सभी वाहनों/उपकरणों/एक्सकेवेटर्स पर इस विभाग के आदेश क्रमांक प.11(1)(161)/ खान/ग्रुप-2/2019 दिनांक 06.05.2020 एवं परिपत्र दिनांक 13.10.2020 के अनुसार खनिज बजरी के अवैध खनन/निगमन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शास्ती के रूप में राशि रुपये 1.00 लाख यथावत वसूलनीय रहेगी।


(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री खान एवं गोपालन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी, खान विभाग, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सीकर।

शिवसिंहपुरा, हाऊसिंग बोर्ड, रोड़, ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के सामने, नवलगढ़ रोड़ सीकर

दूरभाष व फ़ैक्स : 01572-249183

e-mail:-

me.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक: खअ/सीकर/एनजीटी/एप्लीकेशन-59/2024/187

दिनांक: 01.05.24

प्रेषित:-

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड,
सीकर।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक राप्रनिम/क्षे.का.सीकर/सामान्य-253/118-126 दिनांक 25.04.2024 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), सीकर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 25.04.2024 के बैठक कार्यवाही विवरण के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), सीकर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 25.04.2024 के बैठक कार्यवाही विवरण की अनुपालना निम्नानुसार भिजवायी जा रही है-

काटली नदी के बहाव क्षेत्र में इस कार्यालय अधिकार क्षेत्र में कोई खनन पट्टा आवंटित नहीं किया गया है। काटली नदी क्षेत्र के ग्राम कोटडी, लुहारवास आदि से निकलने वाले खनिज वजरी पर देय अधि अधिशुल्क संग्रहण हेतु समय-समय पर ठेके आवंटित किये गये हैं, कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार इनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	काटली नदी का बहाव क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम	निकलने वाला खनिज	ठेका अवधि	ठेके की वार्षिक राशि	ठेकेदार का नाम
1.	कोटडी, लुहारवास	वजरी	12.09.1997 से 11.09.1999 तक	12,56,000	किशोर पारीक पुत्र बंशीधर पारीक
2.	कोटडी, लुहारवास	वजरी	01.04.2003 से 31.05.2003 तक	21,00,000	राजकुमार पुत्र हंसराज
3.	कोटडी, लुहारवास	वजरी	15.05.2004 से 31.03.2005 तक	14,50,000	शुभकरण चौधरी
4.	कोटडी, लुहारवास	वजरी	01.04.2005 से 31.03.2007 तक	26,00,000	उम्मेद सिंह पुत्र सांवत सिंह
5.	कोटडी, लुहारवास	वजरी	01.04.2007 से 31.03.2009 तक	35,68,000	पीरु सिंह पुत्र आशु सिंह
6.	कोटडी, लुहारवास	वजरी	01.04.2009 से 29.12.2009 तक	73,71,000	मैसर्स शिवज्योती इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.

7.	कोटडी, लुहारवास	बजरी	17.12.2010 से 31.03.2012 तक	77,07,000	मैसर्स शिवशक्ति रॉयल्टीज प्रा. लि.
8.	कोटडी, लुहारवास	बजरी	13.09.2012 से 23.09.2013 तक	95,00,000	मैसर्स शिवशक्ति रॉयल्टीज प्रा. लि.
योग				3,55,52,000	

काटली नदी के बहाव क्षेत्र के ग्राम कोटडी, लुहारवास से निकलने वाले खनिज बजरी पर देय अधि अधिशुल्क संग्रहण ठेके में क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है, मात्र नदी के बहाव क्षेत्र से ही खनिज बजरी का खनन किया गया है। वर्तमान में इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में गिरने वाले क्षेत्र में खनिज बजरी खनन कार्य पूर्णतः बन्द है। समय-समय पर क्षेत्र का ओचक निरीक्षण किया जाता है। जब कभी नदी के बहाव क्षेत्र से खनिज बजरी का अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण करता पाया जाता है, तो विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

खनि अभियन्ता, सीकर तथा खनि अभियन्ता(सतर्कता), सीकर कार्यालयों में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध वर्ष 2015-16 से वर्ष 2023-24 तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	वर्ष	अवैध खनन	अवैध निर्गमन	अवैध भण्डारण	कुल प्रकरण	वसूल राशि	वसूल एन.जी. टी. राशि	दर्ज एफ.आई.आर. की संख्या
1	2015-16	0	17	0	17	399300	0	2
2	2016-17	3	17	0	20	1056750	0	1
3	2017-18	1	27	0	28	1935734	0	0
4	2018-19	4	83	1	88	6706827	0	1
5	2019-20	1	110	0	111	9835695	2400000	1
6	2020-21	1	28	0	29	2476838	2700000	0
7	2021-22	0	27	0	27	2369044	2700000	0
8	2022-23	0	77	0	77	6284630	7700000	13
9	2023-24	2	21	0	23	1405740	2200000	4
योग		12	407	1	420	32470558	17700000	22

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

 खनि अभियन्ता, सीकर

कार्यालय सहायक खनि अभियंता खान एवं भू-विज्ञान विभाग नीमकाथाना

दूरभाष व फ़ैक्स: 01574-231810

E-mail : ame.neemkathana@rajasthan.gov.in

क्रमांक: सखअ/नीम/आर.सी.सी./बजरी/2013/2754

दिनांक: 03.05.2024

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना के कार्यालय क्षेत्राधिकार में धृत बजरी खनन की अस्थाई कार्यानुमति की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त विवरण:-

खनन पट्टा वास्ते खनिज बजरी क्षेत्रफल 3150.07 हेक्टेयर जिला सीकर की तहसील नीमकाथाना (राजस्व ग्राम डाबला को छोड़कर) में गैर मुमकीन नदी, नालों के खसरा क्षेत्रों (प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर) से निकलने वाला खनिज बजरी के लिए श्री महेन्द्र सिंह रत्नावत पुत्र श्री नवल सिंह रत्नावत, 53, गोलीमार गार्डन, सहकार मार्ग, जयपुर द्वारा प्रस्तुत निविदा राशि रु. 1,20,00,000/- उच्चतम एवं निविदा पूर्ण होने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-1986 के नियम-33(d) में गठित कमेटी द्वारा चयनित किया गया। उच्चतम निविदादाता द्वारा नियमानुसार 25 प्रतिशत राशि समयावधि में जमा कराये जाने पर महेन्द्र सिंह रत्नावत के पक्ष में शासन के पत्र क्रमांक प.7(22)खान/गुप-2/2013 जयपुर दिनांक 10.05.2013 से खनिज बजरी के खनन पट्टे हेतु मंशा-पत्र (एल.ओ.आई) जारी हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2013 के अनुसरण में शासन के पत्र क्रमांक प.7(22)खान/गुप-2/2013 जयपुर दिनांक 19.12.2013 से खनिज बजरी के खनन की शर्त अस्थाई कार्यानुमति संविदा निष्पादन की तिथि से दिनांक 28.02.2014 तक की अवधि के लिये प्रदान की गई। तत्पश्चात् अस्थाई कार्यानुमति अवधि दिनांक 24.12.2013 से दिनांक 28.02.2014 तक के लिये प्रभावी होगी, कि शर्त के साथ संविदा का निष्पादन दिनांक 23.12.2013 को किया गया तथा क्षेत्र का कब्जा एल.ओ.आई धारक को दिनांक 24.12.2013 को सुपुर्द किया गया।

शासन के पत्रांक प.20(8)खान/गुप-2/2013 पार्ट-II जयपुर दिनांक 26.02.2014 द्वारा उक्त अस्थाई कार्यानुमति की अवधि दिनांक 31.03.2014 तक के लिये बढ़ाई गई, जिस पर पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 28.02.2014 को किया गया। शासन के पत्रांक प.20(8)खान/गुप-2 /2013 पार्ट-II जयपुर दिनांक 31.03.2014 द्वारा उक्त अस्थाई कार्यानुमति की अवधि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक बढ़ाई गई, जिस पर अस्थाई कार्यानुमति अवधि दिनांक 01.04.2014 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक के लिये प्रभावी होगी पर पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 31.03.2014 को किया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम-5(2) के तहत जारी मंशा-पत्र को सेव्ड किया गया, साथ ही नियम-5(4) के तहत एल.ओ.आई. हॉल्डर्स द्वारा एल.ओ.आई. हॉल्डर्स द्वारा एल.ओ.आई. की शर्तों की पालना कर दिनांक 28.02.2018 तक खनन पट्टों का संविदा पंजीयन नहीं करा पाने की स्थिति में खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त किये जाने के प्रावधान किये गये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Petition(s) for special Leave to Appeal(c) no. (s) 34811/2013 में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2017 से किये जा रहे बजरी खनन को रिप्लेनिशमेंट स्टडी कराने एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण सहमति जारी किये जाने हेतु बजरी खननकार्य पर रोक लगाई गई, जिस पर दिनांक 17.11.2016 को पत्र जारी कर एल.ओ.आई. धारक को बजरी खनन नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया गया। इस प्रकार इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में बजरी खनन हेतु अस्थाई कार्यानुमति दिनांक 23.12.2013 से 16.11.2017 तक रही।

एल.ओ.आई. धारक द्वारा अस्थाई कार्यानुमति जारी दिनांक से कार्यबन्द तक कुल 17,99,749/- मै.टन खनिज बजरी का उत्पादन किया गया।


सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग नीमकाथाना

दिनांक 16.11.2027 से 24.04.2024 तक नीमकाथाना में प्रवाहित कातली नदी व उसके पास में स्थित क्षेत्र में खनिज वजरा के अर्बव खनन /

निर्गमन/अपहरण के विरुद्ध की गई कार्रवाही का विवरण

SR NO	Office	YEAR	No. of Cases			Total No. of Cases	Quantity		Penalty Detail			No. of F.I.R
			Illegal Mining	Illegal Transport	Illegal Stock		(in MT.)	Cost of Mineral (in Rs.)	Compound Fee (in Rs.)	NGT	Total	
1		2017-18	0	2	0	2	10	4000	50000	0	54000	0
2		2018-19	0	1	0	1	4	1600	25000	0	26500	0
3		2019-20	1	18	0	19	134	46400	1000000	100000	1146400	3
4	AME NKT	2020-21	0	1	0	1	5	2000	25000	100000	127000	0
5		2021-22	0	1	0	1	4	1600	25000	100000	126500	0
6		2022-23	0	7	0	7	27	13500	175000	700000	888500	5
7		2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		2024-25	1	0	0	1	51	0	0	0	0	0
9		2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		2018-19	0	2	0	2	10	4000	50000	0	54000	0
11		2019-20	0	15	0	15	88	35200	375000	600000	1010200	0
12	AME (V/G)	2020-21	0	1	0	1	5	2000	25000	100000	127000	0
13	ANKT	2021-22	0	2	0	2	19	9500	125000	200000	334500	0
14		2022-23	1	1	0	2	16.6	8300	45000	200000	253300	1
15		2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		2024-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			3	51	0	54	373.6	128100	1920000	2100000	4148100	9

(सहायक खनि अभियन्ता)
 राजस्थान सरकार
 कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग
 नीमकाथाना

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झुंझुनू।

क्रमांक-खअ/झुंझुनू/एनजीटी/2024/2370-71

दिनांक:- 14.05.2024

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
झुंझुनू/सीकर।

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024 (सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक राप्रनिम/क्षे.का.सीकर/सामान्य-253/118-126 दिनांक 25.04.2024 एवं श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) सीकर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 25.04.2024 के बैठक कार्यवाही विवरण के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024 (सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के सम्बन्ध में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) सीकर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 25.04.2024 के बैठक कार्यवाही विवरण की अनुपालना निम्नानुसार भिजवाई जा रही है-

कार्यालय खनि अभियन्ता झुंझुनू के क्षेत्राधिकार में वर्तमान में एक खनन पट्टा वास्ते खनिज बजरी हेतु तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना व तहसील बुहाना जिला झुंझुनू के नदी-नालों से निकलने वाली बजरी हेतु (ग्राम नोरंगपुरा को छोड़कर) में मैसर्स मातेश्वरी मिनरल्स केयर ऑफ श्री बनवारी लाल कुल्हरी, घरणसिंह नगर के अन्दर नवलगढ रोड सीकर में क्षेत्र 1272.96 हैक्टर हेतु अवधि दिनांक 02.05.2025 तक स्वीकृत होकर प्रभावशील है। उक्त खनन पट्टे से पूर्व उपरोक्त क्षेत्र में शासन के आदेश दिनांक 19.12.2013 की पालना में अवधि दिनांक 27.12.2013 से 31.03.2016 तक के लिए खनिज बजरी के खनन एवं खनिज बजरी पर रॉयल्टी तथा अन्य शुल्कों की वसूली हेतु अस्थायी कार्यानुमति प्रभाव में रही है।

इसके अतिरिक्त जिला नीमकाथाना की तहसील उदयपुरवाटी तथा जिला झुंझुनू की तहसील नवलगढ के समस्त गैरमुमकीन नदी/नालों के कुल क्षेत्रफल 2932.924 हैक्टर जिसका अधिकांश हिस्सा काटली नदी क्षेत्र में आता है, में शासन के आदेश दिनांक 19.12.2013 की पालना में अवधि दिनांक 22.12.2013 से 31.08.2017 तक खनिज बजरी के खनन एवं खनिज बजरी पर रॉयल्टी तथा अन्य शुल्कों की वसूली हेतु अस्थायी कार्यानुमति प्रभाव में रही है एवं तत्पश्चात् दिनांक 01.09.2017 से 16.11.2017 एवं दिनांक 28.06.2022 से 01.08.2023 तक खनिज बजरी का खनन पट्टा प्रभाव में रहा है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत काटली नदी क्षेत्र के समस्त गैरमुमकीन नदी-नालों से निकलने वाले खनिज बजरी में खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा अधिशुल्क एवं परमिट फीस वसूली ठेके वर्ष 1994 अथवा सम्भवतया: इससे पूर्व से ही जारी किये जाते रहे हैं। तत्समय प्रभावी/प्रचलित नियमों के अन्तर्गत गैरमुमकीन नदी-नालों से खनिज बजरी के खनन हेतु कोई गहराई अथवा तकनीकी मानदण्ड निर्धारित नहीं थे एवं खनिज बजरी का खनन किसी भी व्यक्ति द्वारा किये जाने पर कोई रोक नहीं थी। कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा जारी निम्न ठेकों से यह स्पष्ट है कि उक्त क्षेत्र में खनिज बजरी का खनन वर्ष 1994 अथवा इससे भी पूर्व से ही किया जाता रहा है।

क्र.सं.	काटली नदी का बहाव क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम	निकलने वाला खनिज	ठेका अवधि	ठेके की वार्षिक राशि	ठेकेदार का नाम
1.	जिला झुंझुनू व नीमकाथाना की तहसील नीमकाथाना,	बजरी	01.04.1994 से 31.03.1996	3976000	श्री हरीसिंह
2.	उदयपुरवाटी के राजस्व ग्राम गुहाला, मावता,	बजरी	12.09.1997 से 11.09.1999	6151000	श्री जुगलसिंह
3.	जहाज, पचलंगी, अडवाना, पापडा, ढाणी हुकुमसिंह,	बजरी	12.09.1999 से 06.04.2000	16100000	श्री बाबुलाल गुप्ता
4.	ढाणी छाजूसिंह, मण्डावरा, बागोली, जोधाकाबास,	बजरी	01.04.2003 से 31.03.2005	12353000	श्री विजेन्द्र सिंह

5.	सूरपुरा, कांकरिया, नवरंगपुरा, चंवर, सराय, गुढा, नेवरी, मणकसास आदि की राजस्व सीमा में पड़ने वाले समस्त गैरमुमकीन नदी-नालों से निकलने वाले खनिज बजरी	बजरी	01.04.2005 से 31.03.2007	25363200	मैसर्स ओम एसोसिएट्स
6.		बजरी	01.04.2007 से 31.03.2009	35155555	श्री गिरधारी सिंह
7.		बजरी	20.01.2010 से 31.03.2011	38350000	मैसर्स राजस्थान हाफ वॉडी ट्रक यूनियन
8.		बजरी	01.04.2011 से 31.03.2013	86400000	मैसर्स शिवशक्ति रॉयल्टीज प्रा लि.
9.		बजरी	01.08.2013 से 14.10.2013	66214411	मैसर्स मातेश्वरी मिनरल्स

वर्तमान में तहसील खेतड़ी के अन्तर्गत आने वाले कातली नदी के क्षेत्र के अतिरिक्त कातली नदी के अन्य किसी हिस्से में कोई खनन पट्टा/अनुमति/परमिट इत्यादि जारी नहीं है।

कार्यालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु नियमित औचक निरीक्षण व चैकिंग की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। कार्यालय द्वारा विगत 05 वर्षों में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है—

काटली नदी में विगत 5 वर्षों में खनिज बजरी के अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का वर्षवार विवरण

क.सं.	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	वसूली की गई राशि लाखों	एफ.आई.आर. की संख्या	वसूली की गई एनजीटी राशि लाखों में
1	2019-20	1	1.25	0	0
2	2020-21	5	5.46	0	4.00
3	2021-22	1	0.20	1	1.00
4	2022-23	4	1.28	1	1.00
5	2023-24	2	0	0	0

काटली नदी में विगत 5 वर्षों में खनिज बजरी के अवैध निर्गमन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का वर्षवार विवरण


क.सं.	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	वसूली की गई राशि लाखों	एफ.आई.आर. की संख्या	वसूली की गई एनजीटी राशि
1	2019-20	37	30.78	0	23.00
2	2020-21	14	7.9	0	14.00
3	2021-22	14	10.27	0	11.00
4	2022-23	3	0.8	2	3.00
5	2023-24	8	2.87	1	4.00

काटली नदी में विगत 5 वर्षों में खनिज बजरी के अवैध भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही का वर्षवार विवरण

क.सं.	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	वसूली की गई राशि लाखों	एफ.आई.आर. की संख्या	वसूली की गई एनजीटी राशि
1	2019-20	0	0	0	0
2	2020-21	0	0	0	0
3	2021-22	0	0	0	0
4	2022-23	0	0	0	0
5	2023-24	0	0	0	0

वस्तुस्थिति रिपोर्ट श्रीमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय


(छगनलाल)

खनि अभियंता, झुंझुनू